श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 27.07.2017 को आयोजित अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही :–

दिनांक 27.07.2017 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/मुख्य महाप्रबंधक, बुडको/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद/पटना नगर निगम के सभी कार्यपालक पदाधिकारी/अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम एवं ब्रेडा के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी/अभियंता उपस्थित थे।

2. बैठक में ऊर्जा विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण इन विभागों से संबंधित विषयों का अनुश्रवण एवं समन्वय नहीं हो पाया। पिछली बैठक में भी इन विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए थे।

3. **जल संसाधन विभाग से संबंधित मुद्दे :–**

3.1 पटना शहर के गंगा प्रोटेक्शन वॉल में पिछले वर्ष मॉनसून के समय कुछ स्थानों यथा गंगा टावर के सामने, सदाकत आश्रम के निकट, गोसाईं टोला पम्पिंग स्टेशन के सामने तथा कुर्जी मोड़ के निकट sluice gate में लीकेज की समस्या हुई थी एवं गंगा नदी का पानी शहर में प्रवेश कर गया था। इस संबंध में मुख्य सचिव के स्तर पर दिनांक 07.06.2017 को आयोजित बैठक में प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा जानकारी दी गयी थी कि गंगा प्रोटेक्शन वॉल के सभी sluice gate की मरम्मति हो गयी है।

बैठक में उपस्थित जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा बताया गया कि गंगा सुरक्षा दीवार के सभी 112 sluice gate की मरम्मति हो गयी है। अब कहीं कोई समस्या नहीं है।

मुख्य महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया कि वर्तमान में निर्मित गंगा सुरक्षा दीवार के क्षतिग्रस्त स्थानों पर आवश्यकतानुसार तत्काल मरम्मति कर ली गयी है। मॉनसून के पश्चात स्थायी तौर पर मरम्मति कर ली जाएगी।

3.2 मुख्य सचिव के स्तर पर दिनांक 07.06.2017 को आयोजित बैठक में निर्णय हुआ था कि बादशाही नाला का जो हिस्सा शहरी क्षेत्र में पड़ता है, उसे पटना नगर निगम/नगर परिषद, फुलवारी शरीफ द्वारा takeover कर लिया जाएगा।

इस संबंध में प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग से अनुरोध है कि प्रमंडलीय आयुक्त, पटना की देखरेख में बादशाही नाला के सम्पूर्ण क्षेत्र को पक्का करने हेतु डी०पी०आर० जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार कराया जाय, जिसमें शहरी क्षेत्र में पड़ने वाले नाले के क्षेत्र को पक्का करने हेतु डी०पी०आर० कार्यान्वयन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करा दी जाय एवं ग्रामीण क्षेत्र के नाले को पक्का करने हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा अपने स्तर से कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में विभाग स्तर से जल संसाधन विभाग को पत्र भेजा जाय। **(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–2)**

4. **बुडको से संबंधित मुद्दे :–**

4.1 बाकरगंज नाला के prefab structure निर्माण हेतु डी०पी०आर० बुडको द्वारा तैयार किया जाय। इस योजना की स्वीकृति विभाग द्वारा राज्य योजना मद से की जाएगी।

मुख्य महाप्रबंधक, बुडको को निर्देश दिया गया कि 02 माह के अंदर उक्त योजना का डी०पी०आर० अनिवार्य रूप से तैयार कर लिया जाय।

4.2 मुख्य महाप्रबंधक, बुडको द्वारा सर्पेन्टाईन नाला एवं मंदिरी नाला के डी०पी०आर० के निर्माण के संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि डी०पी०आर० के निर्माण हेतु कंसल्टेंट का चयन कर लिया गया है, लेकिन कंसल्टेंट द्वारा अभी तक डी०पी०आर० का निर्माण नहीं किया गया है।

निर्देश दिया गया कि यदि कंसल्टेंट द्वारा डी०पी०आर० का निर्माण समयसीमा के अंदर नहीं कराया जाता है तो उन्हें नोटिस देकर एकरारनामा रद्द करने की कार्रवाई की जाय।

4.3 मुख्य महाप्रबंधक, बुडको को निर्देश दिया गया कि बुडको द्वारा पटना शहरी क्षेत्र में अधिष्ठापित किये गये जिन स्ट्रीट लाईटों का अभी तक पटना नगर निगम को handover नहीं किया गया है और O&M Period समाप्त हो गया है, उसका निरीक्षण करके चालू हालत में पटना नगर निगम को शीघ्र handover कर दिया जाय।

4.4 कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रकाश पर्व के अवसर पर पटना साहिब क्षेत्र में लगाये गये कई स्ट्रीट लाईट कार्यरत नहीं हैं, जिसकी सूची बैठक में उपलब्ध करायी गयी।

इस संबंध में मुख्य महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया कि उक्त लाईटों का 01 वर्ष का O&M (माह जनवरी, 2018 तक) है। प्रकाश पर्व का समापन समारोह दिसम्बर, 2017 में आयोजित किया जाना निर्धारित है। खराब स्ट्रीट लाईटों की सूची मुख्य महाप्रबंधक, बुडको को उपलब्ध करा दी गयी और निर्देश दिया गया कि प्रकाश पर्व के समापन समारोह के पूर्व तक सभी स्ट्रीट लाईटों को O&M के तहत कंपनी द्वारा लाईटों की मरम्मति कराकर चालू हालत में पटना नगर निगम को handover करायी जाय।

5. <u>बिहार राज्य जल पर्षद से संबंधित मुद्दे</u> :–

5.1 ट्रांसपोर्ट नगर, पटना में सम्प हाऊस के निर्माण हेतु विभाग द्वारा लगभग 05 माह पूर्व ही स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, लेकिन अभी तक बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया कि निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाय।

5.2 पटना नगर निगम क्षेत्रांतर्गत अलकापुरी, महावीर नगर, वाचस्पति नगर एवं बाजार समिति में मॉनसून के समय लगातार जलजमाव रहता है।

इस संबंध में मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया कि वे इन क्षेत्रों में जलजमाव से स्थायी निदान हेतु पटना नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी एवं अभियंता के साथ इस सप्ताह में स्थल निरीक्षण करके जलजमाव के स्थायी निराकरण के मंतव्य से अधोहस्ताक्षरी को अगली बैठक के पूर्व अवगत कराएंगे।

5.3 चौक शिकारपुर गुरू गोविन्द सिंह लिंक पथ पर बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा पूर्व में नाला का निर्माण कराया गया था। इस निर्माण कार्य की विभागीय अभियंताओं के दल द्वारा 04 माह पूर्व स्थल जाँच करायी गयी थी। जाँच दल द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि नाला निर्माण के क्रम में कई जगहों पर missing gap छोड़ दिया गया है। missing gap के निर्माण हेतु बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देशित किया गया था, लेकिन अभी तक कार्य नहीं कराया गया है।

इस संबंध में मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा missing gap के कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है एवं माह अक्टूबर से बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा अपने स्तर से इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा।

5.4 पिछली बैठक में मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जीरो प्वाइंट, अशोक नगर में नाला जोड़ने का कार्य दिनांक 10 जून, 2017 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

बैठक में मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि 07 मीटर लंबाई में नाला जोड़ने का कार्य शेष है, जिसे अगले 03 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा एवं माह अक्टूबर में नाला चालू कर दिया जाएगा। निर्देश दिया गया कि समयसीमा के अंदर हर हालत में कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय तथा निर्माण में यदि कहीं कोई समस्या हो तो कंकड़बाग अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ स्थल निरीक्षण करके निराकरण करेंगे।

5.5 मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया कि बाकरगंज नाला के प्रारंभ में पीरमुहानी के लिए अलग डी०पी०आर० का निर्माण शीघ्र कराया जाय।

6. <u>पथ निर्माण विभाग से संबंधित मुद्दे</u> :–

6.1 मुख्य सचिव के स्तर पर दिनांक 07.06.2017 को आयोजित बैठक में निर्णय हुआ था कि मंदिरी नाला, बाकरगंज नाला एवं सर्पेन्टाईन नाला को छोड़कर पटना शहर के अन्य सभी नालों को cover करने का कार्य पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।

बैठक में उपस्थित पथ निर्माण विभाग के अभियंता को निर्देशित किया गया कि वे इस हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।

6.2 बैठक में उपस्थित बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि पुल निर्माण निगम द्वारा शहरी क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य कराया जाता है तो निर्माण के क्रम में यह देखें कि कहीं भी नाला क्षतिग्रस्त होने पर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। यह भी निर्देश दिया गया कि जिन पथों/क्षेत्रों में पुल निर्माण के क्रम में नाला क्षतिग्रस्त होने के कारण जलजमाव की समस्या उत्पन्न हुई है, उसके निदान हेतु पटना नगर निगम के कार्यपालक अभियंता के साथ स्थल निरीक्षण करके निराकरण सुनिश्चित कराएंगे।

6.3 पिछली बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि चिरैयाटॉड़ पुल के नीचे दक्षिणी सड़क पर सूर्य मंदिर के पूर्वी भाग में वर्षा होने पर सड़क पर जलजमाव हो जाता है एवं इस स्थान पर रोड नीचा होने के कारण नाले के चैम्बर तक सड़क का पानी नहीं पहुँच पाता है।

पथ निर्माण विभाग के अभियंता को निर्देश दिया गया कि उक्त स्थान पर सड़क को ऊँचा कराने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे ताकि सड़क का पानी नाले के चैम्बर तक पहुँच सके।

6.4 बेऊर मोड़ से न्यू बाईपास में 1200 मीटर की दूरी पर बाईपास के किनारे नाला है, जो कि चितकोहरा से आने वाले नाले को कनेक्ट करते हुए महावीर कॉलोनी को जोड़ता है। जानकारी प्राप्त हुई कि NHAI द्वारा सड़क चौड़ीकरण के क्रम में उक्त स्थान पर नाले को ही बंद कर दिया गया है, जिसके कारण चितकोहरा क्षेत्र में मॉनसून के समय जलजमाव होने की संभावना है।

बैठक में उपस्थित पथ निर्माण विभाग के अभियंता द्वारा बताया गया कि अवरूद्ध किये गये नाले को ठीक करने हेतु NHAI को निदेशित किया गया है।

निर्देश दिया गया कि इस संबंध में विभाग स्तर से पथ निर्माण विभाग को पत्र भेजा जाय।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–2)

7. <u>ब्रेडा से संबंधित मुद्दे</u> :–

7.1 ब्रेडा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पटना शहर में स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन हेतु स्थानों की सूची 02 माह पूर्व ही पटना नगर निगम से प्राप्त हो गयी है, जिसे EESL को भेज दी गयी है एवं इस हेतु 64.00 लाख रूपये की राशि उपलब्ध है, जिससे लगभग 700–800 स्ट्रीट लाईटों का अधिष्ठापन, EESL की स्वीकृति के उपरांत कर दी जाएगी।

8. प्रमंडलीय आयुक्त, पटना से संबंधित मुद्दे :–

8.1 ब्रेडा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर पर हुई बैठक में निर्णय हुआ था कि पटना स्मार्ट सिटी के तहत पटना शहर के 354 भवनों में roof of solar के अधिष्ठापन हेतु डी०पी०आर० तैयार कर ब्रेडा को उपलब्ध करा दी जाएगी। इनके द्वारा बताया गया कि अभी तक डी०पी०आर० उपलब्ध नहीं हो पाया है।

प्रमंडलीय आयुक्त, पटना से अनुरोध है कि इस संबंध में अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।

8.2 कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया कि वैशाली के क्षेत्र में पड़ने वाले क्षेत्र के गंगा नदी बेसिन में अवैध निर्माण हो रहा है, जिसके संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त, पटना के स्तर पर आयोजित बैठक में जिला पदाधिकारी, वैशाली को प्रतिवेदित किया गया था, लेकिन अभी भी अवैध निर्माण कार्य जारी है।

जिला पदाधिकारी, वैशाली से अनुरोध है कि किए जा रहे अवैध निर्माण कार्य को शीघ्र बंद कराया जाय एवं जो भी अवैध निर्माण हुआ है, उसे शीघ्र हटाने की कार्रवाई करें।

9. पटना नगर निगम से संबंधित मुद्दे :–

9.1 जोगीपुर नाला को ऊँचा करने के संबंध में कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया कि एकल निविदा प्राप्त हुई थी, जिसकी पुनर्निविदा की प्रक्रिया की जा रही है। शीघ्र ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा।

9.2 ब्रेडा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पटना शहर में स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन हेतु स्थानों की सूची 02 माह पूर्व ही पटना नगर निगम से प्राप्त हो गयी है, जिसे EESL को भेज दी गयी है एवं इस हेतु 64.00 लाख रूपये की राशि उपलब्ध है, जिससे लगभग 700–800 स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन, EESL की स्वीकृति के उपरांत कर दी जाएगी।

9.3 कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि वे प्रतिदिन प्रातः 07:00 बजे से अपने क्षेत्रांतर्गत स्थल भ्रमण करके सफाई व्यवस्था का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करेंगे।

9.4 पिछली बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि पैजामा अमरपुर में रेलवे द्वारा निर्माण के क्रम में नाले के चौड़ाई को कम करके बहाव को अवरूद्ध कर दिया गया है। उस नाले से 05 वार्डों के नाले के पानी का बहाव होता है।

निर्देश दिया गया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत DRM एवं Divisional Railway Cheif Engineer को नोटिस भेजकर निर्माण कार्य बंद कराया जाय एवं नाला को चौड़ा करने के संबंध में सूचित किया जाय।

9.5 दिनांक 07.06.2017 को मुख्य सचिव के स्तर पर हुई बैठक में निर्णय हुआ था कि यदि किसी भी विभाग अथवा organisation द्वारा storm drainage या sewerage एवं पुल का निर्माण किया जाता है तो निर्माण कराने से पूर्व पटना नगर निगम की अनापत्ति/सहमति लेना अनिवार्य होगा।

इस संबंध में संबंधित विभागों/निगमों को विभाग स्तर से पत्र भी भेजा गया है। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

10. डूडा–1 एवं 2, पटना से संबंधित मुद्दे :–

10.1 पिछली बैठक में कार्यपालक अभियंता, डूडा–2 को निर्देश दिया गया था कि आशियाना–दीघा रोड के नाला निर्माण कार्य की निविदा प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करके कार्यान्वयन कराया जाय एवं राजीव नगर नाले के निकट नाला का निर्माण बरसात से पूर्व कराना सुनिश्चित करें ताकि

CRPF कैम्प के निकट के पानी की निकासी हो सके। इस संबंध में दिनांक 07.06.2017 को मुख्य सचिव के स्तर पर हुई बैठक में भी निर्देश दिया गया था कि CRPF कैम्प के निकट इस मॉनसून में किसी भी परिस्थिति में जलजमाव नहीं हो।

बैठक में कार्यपालक अभियंता, डूडा–2, पटना द्वारा बताया गया कि आशियाना–दीघा रोड के नाला निर्माण हेतु लेवलिंग का कार्य किया जा रहा है। निर्देश दिया गया कि लेवलिंग कार्य शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें और कार्य प्रारंभ कर सूचित करें।

10.2 चाँदमारी रोड, पटना में डूडा–1 द्वारा नाला का निर्माण कराया जा रहा है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि नाला का निर्माण गलत ढंग से किया जा रहा है, जिसकी जानकारी डूडा–1 को दी गयी थी, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया है।

कार्यपालक अभियंता, डूडा–1 को निर्देश दिया गया कि पटना नगर निगम के कार्यपालक अभियंता द्वारा नाला के निर्माण में की गयी आपत्ति का निराकरण करके ही निर्माण कार्य पूर्ण कराएंगे।

11. बैठक से संबंधित अन्य मुद्दे, जिस पर संबंधित विभाग के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं रहने के कारण चर्चा नहीं हो पायी, अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

28/7/2017

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 5038 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 31.7.17
प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

28/7/2017

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 5038 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 31.7.17
प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

28/7/2017

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 5038 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 31.7.17

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/जिला पदाधिकारी, वैशाली/प्रबंधक निदेशक, ब्रेडा (ई०मेल–breda@breda.in), पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/महाप्रबंधक, एन०बी०सी०सी०, पटना/NHAI, Patna (email-ropatna@nhai.org)/कार्यपालक अभियंता, डूडा–1, पटना/कार्यपालक अभियंता, डूडा–2, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल/बाँकीपुर अंचल/कंकड़बाग अंचल/पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. **प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि बैठक में प्रतिनिधि को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने की कृपा करेंगे।**

28/7/2017

प्रधान सचिव

ज्ञापांक ____________________न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक ____________

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी विशेष सचिव/अपर सचिव/श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक/विशेष कार्य पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा/प्रशाखा पदाधिकारी–2/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/7/2017

प्रधान सचिव

अनुलग्नक–1

अन्य संबंधित मुद्दे, जिस पर संबंधित विभाग के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं रहने के कारण चर्चा नहीं हो पायी :–

1. ऊर्जा विभाग से संबंधित मुद्दे :–

1.1 पिछली बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि कई जगहों पर नाला एवं मेनहोल के अंदर बिजली का केबिल/पोल लगाया जा रहा है, जिसके कारण नाले की सफाई कार्य में भी कठिनाई हो रही है।

कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि पेसू के महाप्रबंधक के साथ स्थल निरीक्षण करके निराकरण सुनिश्चित करेंगे।

महाप्रबंधक, पेसू द्वारा आश्वासन दिया गया कि यदि कहीं पर नाला के अंदर केबिल/पोल लगाया गया है तो उसका तुरंत re-alignment कर लिया जाएगा।

2. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित मुद्दे :–

2.1 दिनांक 01.12.2016 को मुख्य सचिव के स्तर पर आयोजित बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा राज्य में कार्यान्वित 106 जलापूर्ति योजनाओं को प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण करके, चालू स्थिति में नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है।